



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 4 राँची, बुधवार 1 फाल्गुन 1937 (श०)
22 फरवरी 2017 (ई०)

विषय-सूची

	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	120-127	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।		भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।		भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।		भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा		भाग-9 — विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।		भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।		भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
		पूरक--
		पूरक "अ"

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

30 जनवरी, 2017

संख्या-01/मु०स्था०/न० वि०/16/2016-854-- नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०- 293, दिनांक 30 मई, 2016 द्वारा "मुख्यमंत्री जन संवाद एवं सीधी बात" कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु नियुक्त नोडल पदाधिकारी, श्री दिलीप कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव को PG Portal पर प्राप्त शिकायतों के निष्पादन हेतु नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

2. श्री सिन्हा को यह निदेश दिया जाता है कि वे विभाग से सम्बंधित User ID एवं Password का उपयोग कर इस पर प्राप्त शिकायतों का ससमय Online निष्पादन सुनिश्चित करेंगे ।
3. यह आदेश सद्यः प्रभाव से प्रवृत्त होगा.
4. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कौशल किशोर झा,
सरकार के अवर सचिव ।